न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 160 / 2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2013 / 00027

प्रार्थी

नरपतसिंह पुत्र परबतसिंह, कौम–
राजपुत, निवासी–कारोला,
कौम–राजपुत, निवासीगण–कारोला

अप्रार्थीगण

1 वगतसिंह पुत्र परबतसिंह उर्फ पबसिंह
तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

2 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर

3 उप पंजियक सांचौर, तहसील–सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 04.02.2013

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालोत उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 01.04.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा कारोला में मुझ प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है, जिसके वर्तमान खसरा नंबर बाद बंटवाड़ा 2138, 2139, 2140 रकबा क्रमशः 0.06, 5.65, 6.36 जुमले रकबा 12.07 हैक्टेयर भूमि जो वगतसिंह को उनके पिता परबतसिंह के फौत होने पर प्राप्त हुई है। परबतसिंह के हम दो जायन्दा पुत्र व हमारी माता उतराधिकारी है जब परबतसिंह फौत हुए तब मुझ वादी की उम्र महज दो माह तथा अप्रार्थी संख्या एक वयस्कपुत्र के थे, इसलिए परबतसिंह के फौत होने पर उकने नाम की संपूर्ण खातेदारी भूमि अकेले वगतसिंह के नाम दर्ज हो गई, क्योंकि वगतसिंह भी उस वक्त घर का कर्ताधर्ता था, इसलिए मेरी छोटी अवस्था को देखते हुए उनके नाम खातेदारी दर्ज की गई। उस वक्त हमारा संयुक्त परिवार था परन्तु अब विगत पांच वर्षों में से अलग रह रहा हूं व अलग की हैसियत से कुल आराजी 1/3 हिस्से की खातेदारी पर काबिज काश्त हूं तथा 1/3 हिस्से की खातेदारी मेरी माता के हिस्से की है जो मेरे साथ होने से उनके भरण पोषण के लिए मैं ही काश्त करता हूं। इस प्रकार संपूर्ण भूमि जो वगतसिंह के नाम थी, उसमें हमारा 1/3, 1/3 हिस्सा मुझ प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का बनता है व उसी कदर हमारा कब्जा है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम कारोला की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2138, 2139, 2140 जुमले रकबा 12.07 हैक्टेयर भूमि पर मेरे हिस्से में अप्रार्थी संख्या एक मेरे भुगत–भोग में दर्ज खातेदारी के आधार पर कोई दखलंदाजी न करें, न ही किसी से करावें। मौके एवं राजस्व

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

रकबा 12.07 हैक्टेयर भूमि पर मेरे हिस्से में अप्रार्थी संख्या एक मेरे भुगत–भोग में दर्ज खातेदारी के आधार पर कोई दखलंदाजी न करें, न ही किसी से करावें। मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायें रखने के आदेश प्रदान करावें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण सादिर फरमावें।

अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा कारोला में मुझ अप्रार्थी वगतसिंह के पिता परबतसिंह के नाम से खातेदारीसुदा, कब्जाकाश्तसुदा भूमि आई हुई है। पिता परबतसिंह ने अपने जीवनकाल में ही भूमि मुझ बतौर मुखियान के रूबरू तर्क कर कब्जा करवा दिया जो विगत करीबन 25–30 वर्षो से मैं अप्रार्थी वगतसिंह ही काश्त करता हूं तथा बिगोड़ी मैं अदा करता हूं तथा गिरदावरी भी मेरे नाम से होती आ रही है। प्रार्थी नरपतसिंह या तीजकंवर का उक्त भूमि में कोई काश्त कब्जा न तो कभी था एवं न ही है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र सारहीन, बलहीन होने से खारिज किया जावें तथा उक्त प्रकरण में जारी एकतरफा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश भी गलत होने से खारिज किया जावें।

हमनें अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा कारोला, तहसील–सांचौर के खेत खसरा नंबर 2138, 2139, 2140 जुमले रकबा 12.07 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक **01.04.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर